4

संयुक्त लोक सुनवाई का विवरण

विषयः– ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् ग्राम मुढ़ेना, तहसील व जिला महासमुंद (छ.ग.) में स्थित 02 फर्शी पत्थर खदानों (गौण खनिज) (1) मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन (फर्शी पत्थर) क्वारी (प्रोपराइटर श्री अवध राम सोनवानी), ग्राम मुढ़ेना, तहसील व जिला महासमुंद स्थित पार्ट आफ खसरा क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल 0.55 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 3644 घनमीटर (9110 टन प्रतिवर्ष) एवं (2) मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन (फर्शी पत्थर) क्वारी (प्रोपराइटर श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर), ग्राम मुढ़ेना, तहसील व जिला महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 एवं 36, कुल रकबा 2.76 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 2025 घनमीटर प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 16.01.2026 को आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत् ग्राम मुढ़ेना, तहसील व जिला महासमुंद (छ.ग.) में स्थित 02 फर्शी पत्थर खदानों (गौण खनिज) (1) मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन (फर्शी पत्थर) क्वारी (प्रोपराइटर श्री अवध राम सोनवानी), ग्राम मुढ़ेना, तहसील व जिला महासमुंद स्थित पार्ट आफ खसरा क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल 0.55 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 3644 घनमीटर (9110 टन प्रतिवर्ष) एवं (2) मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन (फर्शी पत्थर) क्वारी (प्रोपराइटर श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर), ग्राम मुढ़ेना, तहसील व जिला महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 एवं 36, कुल रकबा 2.76 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 2025 घनमीटर प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् संयुक्त लोक सुनवाई कराने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला तथा दैनिक भास्कर में दिनांक 15 दिसंबर 2025 को संयुक्त लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 16 जनवरी 2026 को समय दोपहर 12:00 बजे से स्थल–ग्राम पंचायत भवन, ग्राम मुढ़ेना, तहसील व जिला महासमुंद (छ.ग.) में संयुक्त लोक सुनवाई नियत की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई व तामिली भी ली गई।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् संयुक्त लोक सुनवाई दिनांक 16.01.2026 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। संयुक्त लोक सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, तहसीलदार, महासमुंद तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 100 जन सामान्य उपस्थित थे। संयुक्त लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

5

1. लोक सुनवाई दोपहर 12:00 बजे से प्रारंभ हुई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये हैं, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना की संयुक्त लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि सभी को नमस्कार। राज्य कार्यालय से आए हुए अधिकारी, ग्राम सरपंच और सुनवाई में उपस्थित सभी नागरिकों का स्वागत है साथ ही जो परियोजना प्रस्तावक हैं उनका भी स्वागत है। आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई है, इसमें आज हम लोग ग्राम मुढ़ेना में बैठे हुए हैं तो इसमें आज 02 परियोजना का प्रस्ताव होगा जिसमें (1) श्री अवध राम सोनवानी (2) श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर, आप दोनों का भी स्वागत है तो आज जो हमारा मेन उद्देश्य यह है मुख्य उद्देश्य कि आज यहाँ पर जो 02 प्रस्तावक हैं उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है तो किसी को भी इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा आपत्ति या कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं तो उससे पहले प्रस्तुतीकरण किया जाएगा तो सब चीज यहाँ पर तैयार है तो मैं श्री अवध राम सोनवानी जी से निवेदन करता हूँ कि आकर अपना वह प्रस्ताव रखेंगे।

5. परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री कोनेन सिद्दिकी, पर्यावरणीय सलाहकार, पीएम सॉल्यूशन द्वारा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी प्रस्तुतीकरण करते हुए संबोधित किया कि नमस्कार सर। आज की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई का प्रस्तुतीकरण करने जा रहा हूँ सर। आज के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई की जा रही है जिसमें एक प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैं श्री अवधराम सोनवानी हैं, ग्राम मुढ़ेना है, खसरा नंबर 33/1 रकबा 0.55 हेक्टेयर है, उत्पादन क्षमता 3644 घनमीटर है। दूसरे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट श्री वीरेंद्र कुमार सिंह ठाकुर हैं, ग्राम मुढ़ेना, खसरा नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 एवं 36 है टोटल रकबा 2.76 हेक्टेयर है और इनकी उत्पादन क्षमता 2025 घनमीटर प्रतिवर्ष है, ग्राम मुढ़ेना के अंदर है। दोनों प्रोजेक्ट का क्लस्टर एरिया 17.83 हेक्टेयर है और इन दो खदानों का कुल क्षेत्र 3.31 हेक्टेयर है। लोक सुनवाई की तिथि 16.01.2026 है और स्थान ग्राम पंचायत भवन, मुढ़ेना है। क्लस्टर प्रोजेक्ट होने की वजह से प्रोजेक्ट 'बी–1' के अंतर्गत आता है जिसके लिए

6

ईआइए के अधीन इनको टीओआर ग्रांट हुआ था, पहला टीओआर सर 03 अप्रैल 2023 को ग्रांट हुआ दूसरा टीओआर 30 नवम्बर 2023 को ग्रांट हुआ सर। माइनिंग एरिया के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। श्री अवध राम सोनवानी का टीओआर संदर्भ दिनांक 03.04.2023 को ग्रांट हुआ है उनका खसरा क्रमांक यह पहले बता चुका हूँ खनिज इनका फ्लेग स्टोन है, टोटल उत्पादन क्षमता 3644 घनमीटर है टोटल जो मैनपॉवर रिक्वायरमेंट है इनकी 21 है और वीरेंद्र सिंह ठाकुर का टोटल मैनपॉवर रिक्वायरमेंट 22 है। टोटल मैनपॉवर रिक्वायरमेंट 43 आएगा। परियोजना की आवश्यकता खनिज की वर्तमान औद्योगिकीकरण की प्रमुख शर्त होने के कारण अर्थव्यवस्था में वर्तमान सहायता मिलती है। खनन विवरण में टोटल प्रोडक्शन है उत्खनन विधि में मैन्युअल माइनिंग की जाएगी किसी भी तरह का ड्रिलिंग ब्लास्टिंग इंवॉल्व नहीं है। आधारभूत आंकड़े बेसलाइन कलेक्शन 03 माह के लिए किया गया था जो 2024 मार्च से मई 2024 के दरमियान किया गया है, जिसके अंदर 12 जगहों के वाटर, नॉइस, सॉइल का अध्ययन किया गए हैं और सभी के रिजल्ट अंडर नॉर्म्स पाए गए हैं। प्रोजेक्ट के लिए टोटल ईएमपी बजट 26,85,000 दिया गया है जिसमें कुल 14 खदानें आती है और इंडिविजुअल जो ईएमपी बजट जो अलाट किया गया अवध राम जी को 84,296 है और वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी को 4,23,160 का बजट इनके तरफ से आबंटन किया गया है। सीईआर बजट में हमने 400 पेड़ रखे हैं जो ग्राम पंचायत के अंदर किए जाएंगे वन मित्र वन एरिया के अंतर्गत किए जाएंगे जिसमें 400 पेड़ लगाए जाएंगे इसका टोटल बजट 4,21,000 रुपए डिसाइड किया गया है और इनका रिक्यूरिंग कास्ट 1,61,000 रूपया आएगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि प्रस्तावक की तरफ से जो अधिकृत व्यक्ति हैं सलाहकार उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है, दोनों का संयुक्त रूप से रखा है। तो अब मैं सामान्य जनों से निवेदन करता हूँ कि आपको जो भी इसमें दावा आपत्ति है दूसरा जो चरण है हमारा दावा आपत्ति लेने का वह इस परियोजना के संबंध में दोनों परियोजनाओं के संबंध में एक–एक करके आप बता सकते हैं, तो पहले हम श्री अवध राम सोनवानी जी का लेते हैं कि इनके परियोजना के संबंध में किसी भी आमजन को किसी प्रकार का कोई दावा आपत्ति है, उनको कोई समस्या है इससे तो वह अपनी बात आकर सामने माईक स्टैण्ड है, वहॉ व्यक्त कर सकते हैं, तो पहले मेरे ख्याल से उनका डिटेल एंट्री होता होगा कहीं पर वह अपना नाम बता देंगे और निवास स्थान बता देंगे फिर हम उसका जो भी प्रस्ताव आपत्ति है वह सुन लेंगे आपका, तो हमारा निवेदन है किसी का हो तो सामने आएं दोनों का एक साथ भी दे सकते हैं, दोनों ही परियोजनाओं के लिए श्री अवधराम सोनवानी जी के परियोजना के लिए और श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर के परियोजना के लिए दोनों के लिए एक–एक करके बता सकते हैं।

1. श्रीमती मीना बाई कोटवार, ग्राम मुढ़ेना ने कहा कि अवध सोनवानी ने मेरे तीन–चार खेत को नक्शा बनाकर वहॉ पेश किया है, मैंने उसका नक्शा निकालकर कलेक्टर के पास आवेदन दिया है, तो वही आपत्ति है मेरी, मेरे खेत को छोड़ दे कितने सालों से उसे बो खा रही हूँ और वह बढ़ाकर बना दिए हैं अपने खदान को, पहले से खा लिए हैं बंद था इतने सालों से और अभी वह पटवारी को बुलाकर नक्शा बनवा लिए मेरे खेत को तीन–चार खेत को उसी को मैंने निकलवाया है वहॉ से और निकालकर कलेक्टर के पास दिया है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि आपका जो बी I खसरा ले आइए आप जो बोल रहे हैं न जहॉ–जहॉ इन्होंने आपका जमीन लिए हैं आप बता रहे हैं तो आप बी I खसरा अभी ले आईए उसकी अभी जांच करवा लेते हैं। जब तक यह महोदया आती हैं तब तक हम कोई दूसरा किसी का कोई आपत्ति हो तो सुन सकते हैं, तो जिसको भी आपत्ति है सामने आ जाएं।

2. श्री राजेश साहू, उप सरपंच, ग्राम पंचायत मुढ़ेना ने कहा कि यहॉ खदान खुलने में कोई आपत्ति नहीं है कि गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा यहॉ कोई आपत्ति नहीं है खदान खुलने से।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि कोई और व्यक्ति अपना विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं।

3. मोहित सोनवानी, ग्राम मुढ़ेना ने कहा कि यहॉ खदान खुलने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि गांव के सभी लोगों को रोजगार मिलेगा।

4. श्री सुरेश कोसले, ग्राम मुढ़ेना ने कहा कि आदरणीय महोदय नमस्कार हमारे गांव में जो कार्य हो रहा है चार छोटे बड़े सभी मजदूर लोगों को काम मिलेगा उससे बढ़कर हमको क्या चाहिए।

5. मुकेश सोनवानी ने कहा कि यहॉ खदान खुलने में कोई आपत्ति नहीं है लोगों को रोजगार मिलेगा, कार्य मिलेगा।

6. श्री करण सिंह ठाकुर, ग्राम मुढ़ेना ने कहा कि यहॉ खदान खुलने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है और इसी के द्वारा गांव में रोजगार का काम मिलता है और सभी लोग भलीभांति जीवन यापन कर रहे हैं।

8

7. श्री कमल बांधे, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मजदूर संघ, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़िया मजदूर सेना, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इंटक छत्तीसगढ़, प्रदेश संरक्षक, छत्तीसगढ़ पत्रकार संरक्षण संगठन छत्तीसगढ़ ने कहा कि आज के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई में पहुंचे आदरणीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महोदय जी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी सम्माननीय रबड़े साहब जी, हमारे श्रम विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण, हमारे पर्यावरण विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण, हमारे खनिज विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण और हमारे राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण, साथ ही मीडिया के हमारे सम्माननीय साथीगण, हमारे ग्राम पंचायत मुढ़ेना के सम्माननीय सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगण, प्रभावित आसपास गांव के हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, हमारी माताएं–बहनें, हमारे युवा साथीगण, हमारे युवा शक्ति गण और फ्लेग स्टोन क्वारी संघ के अध्यक्ष सम्माननीय दाऊ झालाराम चंद्राकर जी सहित समस्त वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी प्रो. श्री अवध राम सोनवानी, ग्राम मुढ़ेना एवं मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी प्रोपराइटर श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर के आज के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। स्वागत और समर्थन इसलिए करता हूँ कि उक्त फ्लेग स्टोन क्वारी के संचालित होने से हमारे ग्राम मुढ़ेना सहित आसपास गांव के हमारे युवा बेरोजगार साथियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनके अनुभव के अनुसार काम और रोजगार की व्यवस्था हो पाएगी जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण आसानी से कर पाएंगे। साथ ही गौण खनिज रॉयल्टी मद से मिलने वाली सीएसआर राशि से हमारे गांव मुढ़ेना सहित आसपास प्रभावित गांव का सर्वांगीण विकास भी होगा। साथ ही सरकार को मिलने वाला राजस्व रेवेन्यू से हमारे प्रदेश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ईआईए नोटिफिकेशन 2006 का पूर्णतः पालन करते हुए आज की यह पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई हो रही है जिसका मैं पुनः स्वागत और समर्थन करता हूँ। साथ ही जन हित, मजदूर हित, सार्वजनिक हित की मेरी कुछ मांगे भी है कि मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी में 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को जिसमें ड्राइवर है हेल्पर मुंशी मशीन ऑपरेटर है मैनेजर है इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए रखा जाए। दूसरा है उक्त फ्लेग स्टोन क्वारी में कार्यरत् समस्त मजदूर साथियों को शासन की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत जो है मजदूरी भुगतान होना चाहिए। घनी आबादी रहवासी क्षेत्र में जो है सुबह–शाम पानी का छिड़काव होना चाहिए। साथ ही मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी मुढ़ेना के आज के प्रोपराइटर को हमारे पर्यावरण, वन विभाग द्वारा आदेशित करना चाहिए कि यह दोनों प्रोपराइटर जो है कम से कम गांव में 2–2 हजार पेड़ पौधे लगाएं जिससे पर्यावरण संरक्षण संवर्धन बना रहे। साथ ही

अवैध खनन उत्खनन में प्रतिबंध होना चाहिए। गर्मी अभी कुछ हमारे ग्रामवासी बोल रहे थे कि गर्मी के दिनों में जो है पेयजल हेतु स्वच्छ पानी की व्यवस्था सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। ओवरलोडिंग में प्रतिबंध होना चाहिए और गांव की मूलभूत आवश्यकता जैसे कि नाली, पानी, सड़क, बिजली इसमें विशेष ध्यान देते हुए इस मूलभूत कार्य में जो है समय में होना चाहिए। साथ ही खदान स्टोन क्षेत्र में जान माल की सुरक्षा हेतु जो खदान क्षेत्र है फ्लेग स्टोन क्वारी है उसे या तो बाउंड्रीवॉल किया जाए या तो तार घेरा से उसे संरक्षित किया जाए। साथ ही पर्यावरण अधिनियम, खनिज अधिनियम, श्रम अधिनियम, राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम सहित शासन के तमाम नियमों को फॉलो करते हुए जो है उक्त मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी का संचालन होना चाहिए। मैं पुनः आज के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का स्वागत और समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

8. श्री अरुण कुमार नेताम ने कहा कि यहॉ कार्यक्रम में आए अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन जितने भी विभाग से अधिकारी कर्मचारी आए हैं उनको ग्राम पंचायत मुढ़ेना की तरफ से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और यह जो संयुक्त लोक जनसुनवाई है तो इसमें जो भी ठेकेदार से मैं अपील करना चाहूंगा कि कुछ नियम होते हैं कुछ कायदे होते हैं उसके अंडर रहकर अपना कार्यवाही करेंगे। साथ में इसमें तो दो मत की बात नहीं है कि हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है उनको बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं है तो उसका मैं समर्थन करता हूँ उसके साथ–साथ जो कुछ नियम कायदे होते हैं जैसे पेयजल पानी है और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण है सड़क निर्माण है उसमें विशेष ध्यान देंगे यह मेरी गुजारिश है ठेकेदार साहब लोगों से और इसमें मैं ग्राम पंचायत प्रमुख होने के नाते मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे किंतु जो नियम कायदे हैं उन कायदे में रहकर काम करेंगे और विशेषकर पर्यावरण है सड़क है पेयजल है इसमें विशेष ध्यान देंगे यह मेरा ठेकेदारों से गुजारिश है।

9. श्री तोरण लाल सिन्हा ने कहा कि आज के जो इस सभा में हमारे कलेक्टर महोदय यहॉ पधारे हुए हैं और यह सब जितने जनसुनवाई के नाम से यहॉ पर आए हुए हैं तो इसका जो है हकीकत जनसुनवाई होना चाहिए यहॉ क्योंकि खदान में जो है आपत्ति हमको भी नहीं है लेकिन खदान वाले अपने जगह पर ही उत्खनन करना चाहिए चूंकि इनको देख करके हमारे गांव में जो सरकारी जमीन है उसको भी यहॉ पर कब्जा करके रखे हैं और उसमें गाय नहीं जा पा रहा है यह सब बात है यहॉ पर। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं ठेकेदार लोग और उसको देखकर के गांव वाले वह लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे ऐसा करके, दूसरी बात क्या है अभी हमारे ग्राम के

कोटवार जो है वह हमारी जमीन कम है कोटवारी जमीन कम है ऐसा करके वह भी कब्जा कर रहे हैं तो यहॉ के गाय कहॉ पर चरेंगे और गाय की रक्षा कैसे होगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि सिन्हा जी इसमें जो आप बोले हैं कि इनको जो अपना क्षेत्र मिला हुआ है उसी क्षेत्र में करेंगे। इसके लिए तो बीच–बीच में आकर जो हमारी माइनिंग की टीम है खनिज विभाग की टीम है आकर चेक करेगी तो यह अपनी सीमा जो इन्होंने जो भी इनको जितने का परमिशन मिला है उससे बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है जो आप बोल रहे हो शासकीय भूमि जो चारागाह भूमि आपके कहने का मतलब शायद जहॉ पर गांव में जो पशु चराई करते हैं उसका तो वह सुरक्षित रखना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है आप यदि कहीं अतिक्रमण होता है तो पटवारी के माध्यम से, कोटवार भी वहॉ पर हैं तो कोटवार को भी हम लोग यहॉ से बोलकर यदि वहॉ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है तो दीजिएगा जानकारी और निवेदन है सभी लोगों से कि कोई एक गलत कर रहा है तो उसके पीछे हम भी गलत कर लें ऐसा नहीं है आप अपनी सूचना दे दीजिए हमको हम बिल्कुल जो शासकीय भूमि है उसमें तहसीलदार से कहकर उसका अतिक्रमण हटाएंगे और फिर वहॉ पर आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी, तो आप निश्चिंत रहें अपने एरिया से बाहर नहीं करेगा वह इस बात की गारंटी हम लोग देते हैं बीच में आकर हम चेक भी करेंगे

श्री तोरण लाल सिन्हा ने कहा कि एक और बोलना चाहता हूँ सर, इसके पहले जो है हमारे ग्राम में शत्रुघ्न साहू वह तो स्वर्गवास हो गए और उसके जो लड़के लोग हैं वह लोग इस शासकीय जमीन को आज तक के कब्जा किया है और हमारे ग्राम के सरपंच उप सरपंच के लिए यहॉ पर केस भी चल रहा है अभी बिलासपुर में चल रहा है तो यह ग्राम समिति का पैसा जो है वह उनको देना पड़ता है तो यह पैसा खर्च हो रहा है यहॉ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि जैसे इसमें आपने बताया अभी यहॉ पर कि उनका केस चल रहा है तो वर्तमान में तो पहले उसकी जानकारी दे दीजिए मैं पटवारी से जानकारी ले लेता हूँ जो आप अतिक्रमण वाला जो केस चल रहा है उसके बारे में पटवारी कौन है यहॉ का, उनसे मैं ले लूंगा जानकारी और यदि वह केस चल रहा है तो हम लोग यहॉ से कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन क्या केस चल रहा है कहां तक पहुंचा है वह हम अब जानकारी ले लेते हैं।

श्री तोरण लाल सिन्हा ने कहा कि केस को भी यहीं से तहसीलदार लोग बनाते हैं और वही लोग बना करके सब, उनको सहमत देते हैं और यह सब बढ़ गया है।

10. श्री खूंटा राम ढीढी ने कहा कि हम लोगों को मजदूरी काम मिल रहा है हमें कोई दावा आपत्ति नहीं है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना के बारे में जानकारी लेनी हो या कोई दवा आपत्ति हो तो अपना विचार रख सकते हैं। इसके पश्चात फिर हम लोग 05 मिनट वेट करते हैं और इसके पश्चात फिर जितने भी यहॉ पर आपको समस्याएं गिनाई गई है और उसका दावा आपत्ति किया गया है उसके संबंध में सलाहकार जवाब देंगे जो सलाहकार है वह दोनों के बारे में आपको एक–एक करके एक–एक व्यक्ति के बारे में जानकारी देंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना के संबंध में जिनको भी अपने विचार, सुझाव, टीका–टिप्पणी देना हो, वह लिखित में भी बांई ओर जो काउंटर लगा है उसमें दो प्रति में देकर अपनी पावती प्राप्त कर सकते हैं।

11. श्री नरोत्तम, ग्राम मुढ़ेना ने कहा कि किसी भी खदान में हमें कोई आपत्ति नहीं है जो संचालित है हमें कोई आपत्ति नहीं है।

12. श्री मलिक राम निषाद, ग्राम मुढ़ेना ने कहा कि हमें खदान वालों से तो कोई आपत्ति नहीं है सिर्फ इसी बात पर आपत्ति है कि अपने जगह छोड़कर और कहीं इधर–उधर न चलाएं नाला है, नदी है उस तरफ कटाव न करें उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है और सिर्फ बाहर गांव के लोगों को काम में ही न देखें गांव के युवाओं को भी काम में देखें।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि सभी जन सामान्य से परियोजना के संबंध में जो भी विचार, टीका–टिप्पणी आए हैं और जो प्रश्न आए हैं, उसका उत्तर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिया जाएगा, कृपया परियोजना प्रस्तावक जो प्रश्न आए हैं जो मामले आए हैं उसके संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री कोनेन सिद्दिकी, पर्यावरणीय सलाहकार, पीएम सॉल्यूशन द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया गया कि सर पहला क्वेश्चन अवध राम सोनवानी जी का लीज के बारे में तो उनकी लीज सरकारी भूमि में घोषित

12

की गई है जो किसी तरह का अलग से कुछ ऐसा नहीं किया गया है दूसरा गांव के स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता पर रोजगार दिया जाएगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि इसमें आप जो नाम है वह मेंशन कर रहे हैं न जिन्होंने आपत्ति किया है दावा किया है नाम के साथ बोलिए।

श्री कोनेन सिदि्दकी द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया गया कि जमीन से रिलेटेड मीना बाई का जो सवाल था अवध राम सोनवानी जी की लीज जो है सरकारी जमीन में घोषित है, और दूसरी चीज जो बांधे जी के कुछ सवाल हैं, रोजगार की रिगार्डिंग और प्लांटेशन के लिए तो रोजगार में प्राथमिकता गांव के लोगों को ही दी जाएगी सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की तरफ से और एप्रोच रोड पर टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायत से बात करके जो जमीन वे प्रोवाईड करायेंगे उस पर वृक्षारोपण किया जाएगा और पानी की व्यवस्था भी की जायेगी, बोरवेल लगाना हो तो बोरवेल भी लगाई जायेगी। जमीन के बाद जो माइनिंग की जो समस्या थी उसके लिए सर लीज के चारों तरफ फेंसिंग की जाएगी ताकि बाहरी तरफ कोई भी न घुस सके और लीज के बाहर कोई भी उत्खनन नहीं किया जाएगा सर इसके लिए आश्वासन दिया जाता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की तरफ से और जिन लोगों ने इस माईनिंग प्रोजेक्ट का समर्थन किया उन सभी को धन्यवाद दिया जाता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की तरफ से और मैं यह समापन करता हूँ सर।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि पेड़ कितना लगा रहे हैं आप।

श्री कोनेन सिदि्दकी द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया गया कि सीईआर के अंतर्गत 400 पेड़ प्रस्तावित किए गए है और अलग से 1600 पेड़ का प्रावधान दिया गया है। ईएमपी में सर लगभग 1400 पेड़ का प्रावधान दिया गया है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि पेड़ 400 लगा रहे हैं और स्थानीय युवक जो काम करने में सक्षम हैं अलग–अलग योग्यता हैं और यह जो धूल या पानी की बात आई थी, धूल उड़ता है टैंकर से छिड़काव।

श्री कोनेन सिदि्दकी द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया गया कि पानी का छिड़काव टैंकर से किया जाएगा सर।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि मिनिमम वेज क्या रहेगा।

श्री कोनेन सिद्दिकी द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया गया कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाएगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि सेफ्टी या बाउंड्री की एक बात आई थी आप में से किसी ने रखा था कि जो खदान है उसके चारों तरफ कुछ फेंसिंग का नोट कर लीजिए आप यदि नोट नहीं किए होंगे तो और अलाटेड एरिया में ही करेंगे इसके अलावा सीएसआर के तहत कुछ काम करेंगे।

श्री कोनेन सिद्दिकी द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया गया कि 400 पेड़ अलग से सीएसआर के तहत ही लगेगा मित्र वन प्रपोजल के अंतर्गत 400 पेड़ लगेंगे सर।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि वह ठीक है इसके अलावा क्या होता है मैं खासकर स्कूल को फोकस कर रहा हूँ स्कूल और आंगनबाड़ी। स्कूल और आंगनबाड़ी में छोटे–मोटे काम होते हैं कभी टॉयलेट रिपेयर का रहता है और आंगनबाड़ी में भी ऐसा कुछ छोटा–मोटा रिपेयर रहता है और कुछ कुर्सियॉ वगैरह देने का रहता है तो उस टाईप का आप काम करवा देंगे। क्यों आप लोग सहमत हैं इससे छोटे–मोटे जो काम जैसे ब्लैकबोर्ड खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करवा दीजिए आप अपना जो सीएसआर में वहॉ पर जो ब्राईंडिग करना है कर दीजिए और आंगनबाड़ी में कभी खिलौने टूट जाते हैं बीच में बच्चे यूज करते रहते हैं तो वह एक करवा दीजिए और मान लो जो सार्वजनिक स्थान होगा गर्मी में खासकर कहीं पानी की व्यवस्था हो तो पेयजल की व्यवस्था करवा देंगे आप यह कुछ एडिशनल मेरे तरफ से है वह लिख दीजिए स्कूल और आंगनबाड़ी में फोकस कर रहा हूँ ठीक है बाकी ग्राम पंचायत अपने भवन को अपने निधि से देखें उसमें कोई दिक्कत नहीं है यह भी देखना उन्हीं का काम है मतलब स्कूल और आंगनबाड़ी को भी देखना ग्राम पंचायत का ही काम है लेकिन ठीक है अब यहॉ पर आपके पास एक साधन उपलब्ध है तो यह भी सहयोग कर दें अपना तो यह चीज इंक्लूड करिएगा। उप स्वास्थ्य केन्द्र नांदगांव में छोटा–मोटा रिपेयर हो तो उसमें भी आप सहयोग कर देंगे यह तीन ही जगह में बोल रहा हूँ उप स्वास्थ्य केन्द्र आपका जो नांदगांव में है यहॉ से लोग जाते ही हैं और दूसरा आपका आंगनबाड़ी यहॉ जो भी आंगनबाड़ियां होंगी यहॉ पर और एक स्कूल होगा मिडिल प्राइमरी दो स्कूल तो यह आपको 4–5 बिल्डिंग्स में थोड़ा बहुत रिपेयर आपका सीएसआर में आप जो कराना चाहें मतलब पूरा मैं आपको नहीं सौंप रहा हूँ जो आप कर सकते हैं जो

आपके उसमें आ जाए वह करवा दीजिएगा और किसी का कुछ सुझाव हो तो बता सकते हैं। इनके जवाब से आप यदि संतुष्ट हैं तो फिर क्लोज करेंगे। 05 मिनट का समय लेते हैं आपकी तरफ से अभी यह बता देंगे।

13. श्री तुकाराम निषाद, ग्राम मुढ़ेना ने कहा कि हमारे जो पानी टंकी है सर आप देखेंगे आप जैसे आए होंगे मुढ़ेना, सामने पानी टंकी है सर और पानी के लिए ग्राम वासी थोड़ा तरस रहे हैं एक–एक बूंद के लिए आज तक वह स्टार्ट नहीं हुआ है सर यह सामने स्कूल से बगल है गौठान के पास बड़ा वाला दिख रहा है सर आपसे रिक्वेस्ट है इनके साथ–साथ हमारे गांव की महिलाएं जो है महतारी वंदन योजना जैसा योजना लागू किया है शासन जो है इसमें कुछ महिलाएं जो वंचित रह गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आपसे अगर यह हो सकता है तो महिलाओं के लिए और जैसा पीएम आवास है जिस हितग्राही को अभी नहीं मिला है उसको भी आप नोट कीजिएगा और जायजा लेना चाहिए यहॉ आकर के किस घर पर पात्रता है या नहीं है ठीक है सर अपनी बात रख रहा हूं मैं फिर भी आपको अवगत कराने मैं फिर आऊंगा कलेक्ट्रेट।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि और कोई आप लोगों का और पॉइंट न हो तो फिर आप सभी को धन्यवाद। आज की जो संयुक्त लोक सुनवाई है इसमें सभी उपस्थित मीडिया के बंधु और जो हमारे जनसमूह यहॉ उपस्थित हुए हैं ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत से प्रभावित लोग या आसपास के लोग उनका भी धन्यवाद और रायपुर से जो हमारे जो साहब आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद। माईनिंग से हमारे नागेश जी आए हैं माइनिंग ऑफिसर उनका धन्यवाद। ग्राम पंचायत से ग्राम सरपंच जी का धन्यवाद, उप सरपंच जी का धन्यवाद जिन्होंने यह व्यवस्था यहॉ पर करी आज उनके गांव में एक मेला भी है उसके पश्चात भी उन्होंने एक अच्छा सा हमको एक सहयोगात्मक वातावरण दिया उसके लिए धन्यवाद और अभी फिर से मैं जो उपस्थित है सभी ग्राम पंचायत के लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूॅ और यह सुनवाई यहीं पर पूर्ण होने के बाद समाप्ति की घोषणा करता हूॅ धन्यवाद। संयुक्त लोक सुनवाई का कार्यक्रम अपरान्ह 1:00 बजे समाप्त हुआ। लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या **01** है। सम्पूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

प्रकाश कुमार रबड़े
क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

रवि कुमार साहू
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला–महासमुंद (छ.ग.)